जवाहर लाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

परियोजना मूल्यांकन दिशा निर्देश

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

जेएनएनयूआरएम

जवाहर लाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

परियोजना मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश

जेएनएनयूआरएम

विषय सूची

I मूल्यांकन प्रक्रिया का ओवरव्यू 3

II क्षमता निर्माण, शहर विकास योजना (सीडीपी) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पाने हेतु प्रस्तावों का मूल्यांकन 4

III निवेश समर्थन पाने हेतु प्रस्तावों का मूल्यांकन 8

आकृतियों की सूची

आकृति-1 : क्षमता निर्माण सहायता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया– शहर विकास योजना तैयार करना 6

आकृति-2 : क्षमता निर्माण सहायता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना 7

आकृति-3 : निवेश समर्थन घटक हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया 10

संलग्न

परियोजना मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश 11

I मूल्यांकन प्रक्रिया का ओवरव्यू

I ओवरव्यू

(1) क्षमता निर्माण एवं निवेश समर्थन घटकों हेतु जेएनएनयूआरएम (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) सहायता पाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पैरा स्टेटल एजेंसियों से प्रस्तावों एवं अनुरोधों के प्राप्त होने पर मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

(2) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का मूल्यांकन, मंत्रालय के तकनीकी विंग द्वारा या यदि आवश्यक हुआ तो विशेषज्ञता प्राप्त/तकनीकी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद केन्द्रीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) की मंजूरी हेतु ऐसे प्रस्तावों को रखा जाएगा।

(3) प्रस्ताव का मूल्यांकन व्यावसायिक तथा पारदर्शी तरीके से, इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए, संस्थागत फ्रेम वर्क के माध्यम से किया जाएगा। यह मूल्यांकन इस टूलकिट में दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर होगा।

II. क्षमता निर्माण, शहर विकास योजना (सीडीपी) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पाने हेतु प्रस्तावों का मूल्यांकन

(1) **प्रारंभिक सहायता हेतु पूर्वअर्हताएं :** क्षमता निर्माण, शहर विकास योजना (सीडीपी) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सहायता पाने हेतु प्रारंभिक मानदंड।

(क) शहर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करने के लिए सहायता प्राप्ति हेतु प्रस्ताव।

पैरामीटर
शहर सहायता का पात्र है (''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सहायता के ओवरव्यू'' के दस्तावेज संलग्न का संदर्भ लें।)
शहर सुधारों का इच्छुक है।
राज्य स्तरीय सुधारों को करने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता।
क्षमता निर्माण हेतु निधि की जरूरत का प्राक्कलन तैयार है।

(ख) परियोजना तैयार करने तथा विस्तृत विवरण के लिए सहायता प्राप्ति हेतु प्रस्ताव।

पैरामीटर
शहर सहायता का पात्र है (''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सहायता के ओवरव्यू'' के दस्तावेज संलग्न का संदर्भ लें।)
शहर विकास योजना (सीडीपी) तैयार है।
यह परियोजना पात्र क्षेत्र में है (''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सहायता के ओवरव्यू'' दस्तावेज के पात्र शहर, सेक्टर तथा परियोजनाएं सेक्शन V का संदर्भ लें।)
शहर सुधार करने के इच्छुक हैं।
राज्य स्तरीय सुधार करने के लिए राज्य सरकार की इच्छा।
परियोजना तैयार करने के लिए अपेक्षित निधि का प्राक्कलन तैयार है।

(2) **मूल्यांकन मानदण्ड :** तकनीकी विंग/एजेंसी इस घटक के अन्तर्गत सहायता हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों पर निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करेगी:–

(क) क्या प्रस्ताव में आनुषंगिक समर्थन दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र शामिल किया गया है।

(ख) क्या राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/ पेरास्टेटल एजेंसियों ने सुधारों को लागू तथा कार्यान्वित करने के लिए वायदा[1] किया है तथा एमओए को निष्पादित करने के लिए सैद्धान्तिक रूप में सहमत हो गई है।

(ग) क्या एजेंसियों, विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं की प्रबंध–व्यवस्था प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से है।

(घ) क्या संबद्ध स्वीकृतियां तथा क्लीयरेंस ली गई हैं।

[1] शहर विकास योजना को तैयार करने हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव सुधारों को लागू करने के उनके प्रस्ताव से संबंधित तैयारी नहीं की जा सकी है। उनके वायदे सुधारों की सिद्धान्त रूप में स्वीकृति के रूप में भी हो सकते हैं जोकि शहर विकास योजना (टाइमलाइन्स माइल स्टोन/गतिविधियां तथा लक्ष्य) के एक भाग के रूप में दर्शाया जा सकेगा।

(3) **प्रारंभिक सहायता हेतु आनुषंगिक दस्तावेज :–** सहायता हेतु प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:–

(क) निम्नलिखित आनुषंगिक कागजातों सहित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/पैरास्टेटल एजेंसियों से आवेदन पत्र:–

(i) शहरी विकास प्रस्ताव तैयार करने हेतु

- अपेक्षित सहायता का प्राक्कलन
- आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित कागजात संलग्न करना

(ii) परियोजना तैयार करने हेतु

- अपेक्षित सहायता का प्राक्कलन
- शहर विकास योजना (सीडीपी)
- एम ओ ए की प्रति सहित टाइम लाइन्स
- एम ओ ए के अनुसार महत्वपूर्ण उपलब्धि (माइलस्टोन)

आवेदन पत्र का प्रोफार्मा टूल किट[1] के भाग IV में शहर विकास योजना (सीडीपी) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हेतु आवेदन फार्म उपलब्ध है।

[1] शहर विकास योजना को तैयार करने हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव सुधारों को लागू करने के उनके प्रस्ताव से संबंधित तैयारी नहीं की जा सकी है। उनके वायदे सुधारों की सिद्धान्त रूप में स्वीकृति के रूप में भी हो सकते हैं जोकि शहर विकास योजना (टाइमलाइन्स माइल-स्टोन/गतिविधियां तथा लक्ष्य) के एक भाग के रूप में दर्शाया जा सकेगा।

आकृति 1: क्षमता निर्माण सहायता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया–शहर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करना।

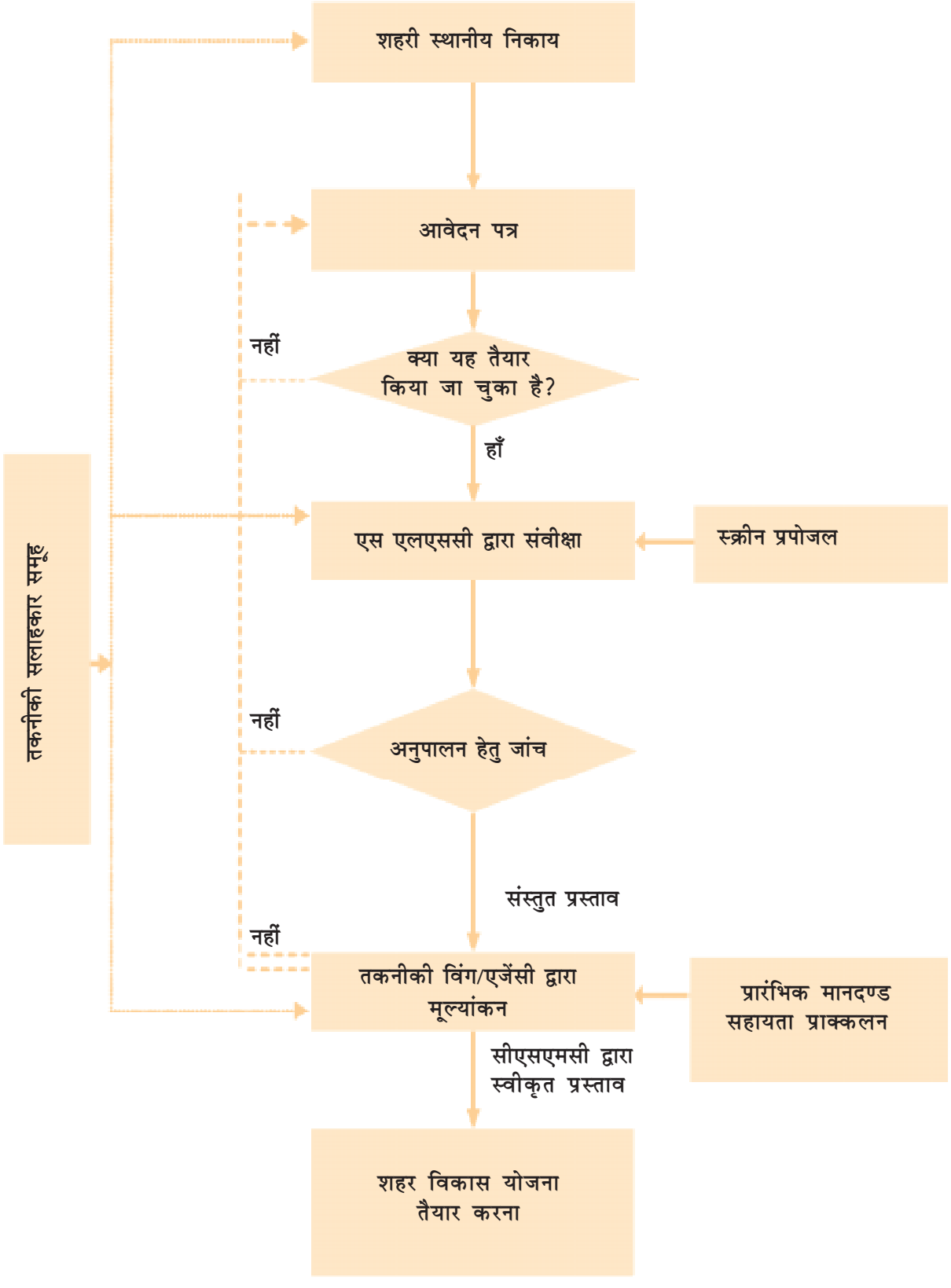

आकृति 2: क्षमता निर्माण सहायता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

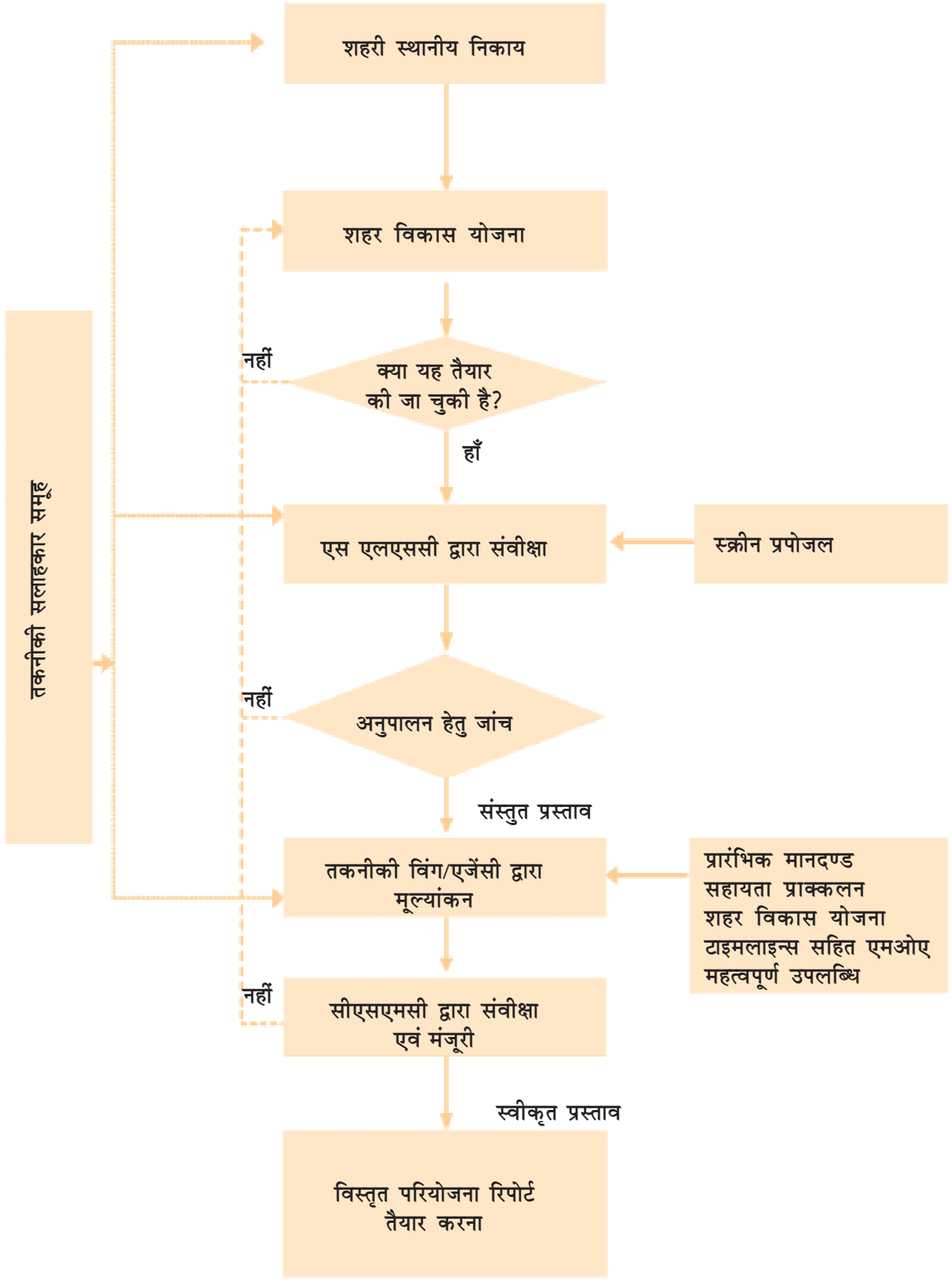

III. निवेश सहायता पाने हेतु प्रस्तावों का मूल्यांकन

(1) **निवेश सहायता हेतु पूर्व अर्हताएं :** निवेश सहायता घटकों के अन्तर्गत सहायता पाने हेतु प्रारंभिक मानदण्ड, जिन पर आधारित हैं, वे हैं :–

(क) शहर सहायता का पात्र है।

(ख) शहर सुधारों का इच्छुक है।

(ग) राज्य स्तरीय सुधारों को करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है।

(घ) शहर ने शहर विकास योजना (सीडीपी) तैयार कर ली है।

(ङ) शहर विकास योजना में प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है।

(च) शहर ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसमें तकनीकी–वाणिज्यिक विश्लेषण, कानूनी मूल्यांकन, इंस्टीटयूशनल फ्रेमवर्क की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन, पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यांकन, वित्तीय प्रचालन योजना तथा एक कार्यान्वयन योजना शामिल की गई हो।

(छ) प्रस्ताव में सांविधिक अपेक्षाओं को शामिल किया गया हो।

(2) **मूल्यांकन मानदण्ड :** मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देशों जो कि संलग्नक 1 में दिए गए हैं, को ध्यान में रखकर परियोजना प्रस्ताव हों। तकनीकी विंग/एजेंसी इस घटक के तहत सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर करेंगी :

सामान्य मूल्यांकन मानदण्ड

(क) क्या आनुषंगिक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

(ख) क्या कार्यान्वयन के लिए समय सीमा तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) से प्राप्त तदनन्तर निधियों के उपयोग को स्पष्ट रूप से बताया गया है तथा वह तर्कसंगत है।

(ग) क्या संबंधित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

(घ) वित्तीय तथा आर्थिक व्यवहार्य पैरामीटरों के माध्यम से कार्यान्वयन के साथ–साथ दीर्घकालिकता[2] के लिए ईष्टतम जीवन चक्र मूल्य आधारित विकल्प की तकनीकी साध्यता तथा चयन को प्रस्ताव में दर्शाया गया है।

(ङ) पब्लिक प्राइवेट साझेदारी फार्मेट पर विशेष उद्देश्य व्हीकल (एसपीवी) द्वारा ली गई परियोजनाओं हेतु परियोजना के लिए बढाई गई पूंजीगत लागत से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) को परियोजना में अधिक दर्शाया जाना है। ऐसा करने में, परियोजना में, पूंजीगत लागत से इकोनोमिक रेट ऑफ रिटर्न अधिक दिया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित न्यूनतम डीएससीआर 1.25 से कम नहीं होनी चाहिए।

(च) शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में, भविष्य नकदी प्रवाहों के आधार पर सम्पूर्ण डीएससीआर (सिकिंग फंड तथा रिवाल्विंग फंड सहित) कम से कम

[2] निवेश प्रस्ताव तभी विचार करने योग्य माना जाएगा यदि इसका नकदी प्रवाह परियोजना, इसके प्रचालनों तथा अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत दी गयी वचनबद्धता को पूरा करने और स्थानापन्न निवेश की व्यवस्था करने हेतु राजस्वों को अलग रखने में समर्थ हो।

एक होना चाहिए। विकल्प रूप में, राजस्वों के वर्तमान सामान्य पूल से पहचानने योग्य नकदी प्रवाह वित्तीय सहायता कार्य हेतु एस्क्रोएबल (escrowable) होना चाहिए।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी या प्रायोजक यह विश्वास दिलाने में समर्थ हों कि वह परियोजना के लिए शेष निधि की व्यवस्था करने में समर्थ होगा।

(ज) निम्नलिखित के बारे में माइलस्टोन्स से जुडी परियोजना विशिष्टीकृत सुधार कार्यान्वयन योजना (प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिफार्म इम्लीमेंटेशन प्लान) को प्रस्ताव में शामिल किया जाए।

(i) शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य सुधार किया जाना।

(ii) वैकल्पिक सुधार किया जाना।

निवेश मानदण्ड

(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत कोई परियोजना सहायता की पात्र नहीं होगी यदि वह निम्नलिखित स्तर को पार कर जाती है–

(क) चालीस लाख की जनसंख्या से अधिक वाले शहर: परियोजना लागत का 35 प्रतिशत

(ख) दस से चालीस लाख की जनसंख्या वाले शहर: परियोजना लागत का 50 प्रतिशत

(ग) दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहर:– परियोजना लागत का 80 प्रतिशत

(3) **निवेश समर्थन घटक पाने हेतु आनुषंगिक दस्तावेज :** – सहायता पाने हेतु प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं: –

(क) निवेश घटक के लिए आवेदन पत्र सहित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/पैरास्टेटल एजेंसी से आवेदन पत्र:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- अपेक्षित सहायता का प्राक्कलन

(ख) त्रिपक्षीय एमओए

(ग) सुधारों के लिए शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी की वचनबद्धता के संबंध में काउंसिल रिजोल्यूशन तथा कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य कोई परियोजना विशिष्टीकृत उपाय।

(1) निवेश समर्थन पाने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट (फलो चार्ट) में संक्षेप में दर्शायी गयी है।

आकृति 3: निवेश सहायता घटक हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

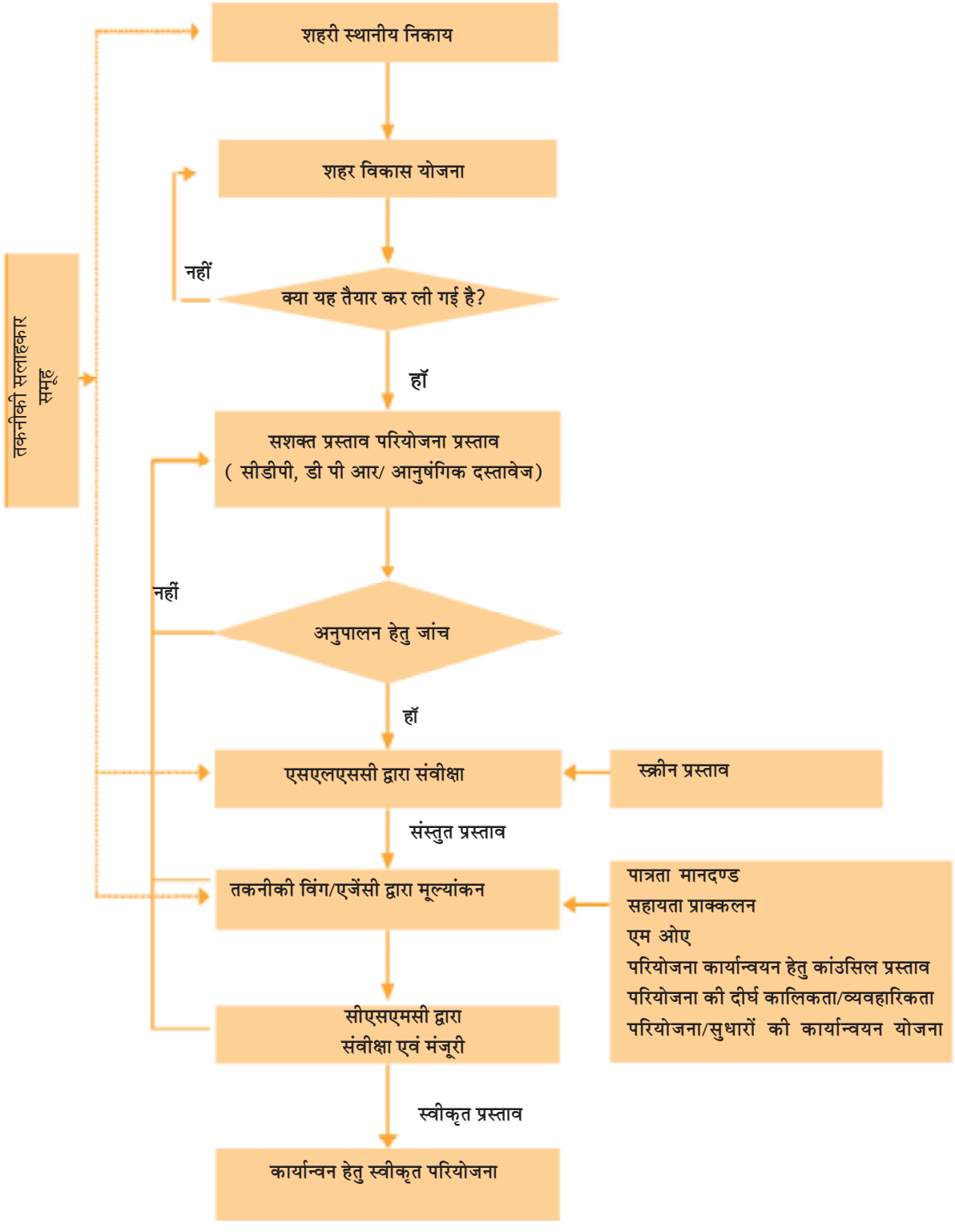

संलग्न

परियोजना मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश

1. दिशा निर्देशों का उद्देश्य

दिशा निर्देशों में विशिष्टीकृत मानदण्ड जैसे कोर सिद्धान्त तथा बेहतर परम्पराओं को दर्शाया जाए जोकि परियोजनाओं की धारणीयता मे सुधार करने की अनुरूपता की अपेक्षा रखती है। इससे यह जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नीति का भाग बन सकेगा।

इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य है (i) परियोजना चयन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन में सहायता (ii) धारणीयता (सस्टेनेबिलिटी) को सुनिश्चित करने के जेएनएनयूआरएम के ध्येय सहित अनुपालन का मूल्यांकन करना।

परियोजना मूल्यांकन, प्रस्तावित उपायों तथा सुरक्षा उपायों (सेफगार्ड) से संबंधित होगा। यह निवेश समर्थन घटक के अन्तर्गत सहायता पाने के लिए प्रस्ताव का भाग बनेगा। जेएनएनयूआरएम सहायता की मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्ताव, शहरी क्षेत्रों तथा सभी पात्र क्षेत्रों में सभी पात्र परियोजना के लिए बनाए गए इन दिशा निर्देशों की शर्तों के अनुरूप होगा।

2. सभी सेक्टरों के लिए दिशा निर्देश

सभी परियोजना प्रस्ताव निम्नलिखित के अनुरूप होनी अनिवार्य हैं:–

(क) **परियोजना की प्राथमिकता का निर्धारण :** प्रस्तावों में दर्शाया गया हो कि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)के पूँजीगत खर्च कार्यक्रम में परियोजनाओं तथा प्रस्तावित निवेशों को शहर विकास योजना (सीडीपी),कारोबार/मास्टर प्लान या विजन के एक भाग के रूप में प्राथमिकता पर रखा गया है या प्राथमिक निवेशों के रूप में मान्यता दी गई है। इसी को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपनी प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) **सुधारों की कार्यसूची (एजेंडा):** परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:–

(i) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्कीम के ओवरव्यू दस्तावेज के भाग V में दर्शाए गए अनिवार्य तथा स्वैच्छिक सुधारों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसी/राज्य सरकार की वचनबद्धता यह वचनबद्धता सुधार कार्यान्वयन योजना के रूप में होगी।

(ii) सेवा सुपुर्दगी सुधार प्रस्ताव (एप्रोच) (परिभाषा नीचे देखें) को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय की वचनबद्धता जिसमें अपने लाइफ स्पेन के दौरान प्रबंधन तथा वित्तीय सहायता से परिसम्पत्ति पैदा करना शामिल है जिससे कि अभीष्ट सेवाएं पूरी तरह धारणीय होंगी।

सेवा सुपुर्दगी सुधार: इस एप्रोच का तात्पर्य है कि (i) सेवा सुपुर्दगी के वर्तमान स्तरों की जानकारी है। (ii) प्राप्य लक्ष्यों तथा माइल स्टोनों सहित प्रस्तावित सेवा सुपुर्दगी सुधार कार्यक्रम (दीर्घकालिक योजना के अन्तर्गत वर्तमान सेवा स्तरों में सुधार करने के लिए नगरपालिका किस तरह से लक्ष्य निर्धारित कर रहा है।) (iii) दीर्घकालिक योजना सहित वर्तमान सेवा स्तरों में सुधार करने तथा अत्यधिक रुकावटों के होते हुए भी वर्तमान सेवा स्तरों में गिरावट नहीं आने देना प्रस्तावित निवेश का ध्येय होना चाहिए। (iv) अपेक्षित सांस्थानिक सशक्तीकरण तथा क्षमता निर्माण उपाय निश्चित किए गए हैं तथा वे निवेशों सहित कार्यान्वित किए गए हैं।

(ग) **वित्तीय पहलू तथा धारणीयता :** जीवनचक्र लागत विश्लेषण को शामिल करते हुए लागत लाभ विश्लेषण को परियोजना प्रस्तावों में शामिल किया जाए। 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक की एकल परियोजनाओं हेतु लागत लाभ विश्लेषण में सकारात्मक सकल वर्तमान मूल्य (एनपीवी)तथा पूँजी के समुचित अवसर

मूल्य के समान या उससे अधिक एक इकोनामिक रेट ऑफ रिर्टन (ERR) दर्शाया जाए। यह अपेक्षा गैरमात्रात्मक (क्वांटिफिएबल) लाभों वाली परियोजनाओं या 50 करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी। एनपीवी के नकारात्मक होने या ईआरआर के पूँजी की लागत से कम होने पर एक अतिरिक्त गुणता विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त एसपीवी के माध्यम से पीपीपी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है तो पूँजी की लागत से ऊपर कम से कम 200 आधार बिन्दुओं वाले लक्षित आईआरआर के आधारित वित्तीय व्यवहार्यता को प्रस्ताव में दर्शाया जाए।

(घ) **सेक्टर दिशा निर्देश:–** परियोजना निरूपण सेक्टोरल विकास दिशा निर्देशों के आधार पर होगा। सेक्टर विशिष्ट दिशा निर्देश जोकि नीचे दिए गए हैं, इस उद्देश्य के लिए विचारार्थ भेजे जाए।

सेक्टर विशिष्ट दिशा निर्देश: जल आपूर्ति तथा मल शोधन परियोजनाएं:

जल आपूर्ति तथा मल शोधन सेक्टर में परियोजना प्रस्तावों के समर्थन कि लिए उन पर तभी विचार किया जाएगा यदि शहरी स्थानीय निकाय(यूएलबी)/प्रायोजक तथा राज्य सरकार निम्नलिखित के अनुरूप हो ।

- **आयोजना की मुख्य बातें:** सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्तावित सुधार योजना, किए जाने वाले प्रारम्भिक कार्यों की रूपरेखा, प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की जाने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि, दीर्घ अवधि (15–20 वर्ष) में प्रस्तावित उन्नतिशील सुधार। इस संदर्भ में प्रस्तावित सेवा स्तरों को प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण उपलब्धि (माइलस्टोन) का लक्ष्य होगा। जैसे सिस्टम के नुकसान/अनएकाउंटिड फार वाटर (यूएफडब्ल्यू), जनसंख्या के अनुरूप में सेवा क्षेत्र को बढाना, जल आपूर्ति करना (आपूर्ति की अवधि/आपूर्ति की मात्रा), इस योजना के एक भाग के रूप में की जाने वाली प्रस्तावित अनुषंगिक गतिविधियां जिन में जल लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, सिस्टम प्राथमिकता बैंचमार्क (दबाव/प्रवाह माप) बनाए रखना, उपभोक्ता कनेक्शन डेटाबेस का सुढ़ढीकरण उपभोक्ता कनेक्शन जिनमें राजस्व/वाणिज्यिक डेटा (बिल बनाना तथा वसूली करना,भुगतान/देय/बकाया राशि) मीटर संबंधी कार्य (उपभोक्ता को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ सिस्टम की प्राथमिकता को मॉनीटर करना) आदि। तकनीकी आरेख (डिजाइन), लघुतम लागत समाधान (लीस्ट कॉस्ट साल्यूशन), खातें में ली गई जीवनचक्र लागत (लाइफ साइकिल कॉस्ट) तथा वास्तविक खपत प्राक्कलनों पर आधारित मांग निर्धारण के आधार पर बनाई गई होगी।
- **एकीकृत विकास:** जब जल आपूर्ति बढ़ाई जाती है तो यह अपेक्षित होता है कि बेकार पानी के निपटान की व्यवस्था करने पर विचार किया जाए। इसमें समान्तर (या तत्काल की जाने वाली) गतिविधि के रूप में जल निकास तथा मल निकास व्यवस्था को शामिल किया जाए।
- **संस्थागत विकास तथा क्षमता बढ़ोत्तरी:** सेवा प्रदान करने वाले/शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों (शहरी स्थानीय निकाय के आकार तथा क्षमता पर आधारित तथा अपेक्षा के अनुसार स्वायत्ता के प्रारम्भिक कार्यों को समुचित रूप से आरेखित किया जाए) की बढ़ी हुई स्वायत्ता, बढ़ी हुई क्षमता तथा सम्पूर्ण लागत को सफलतापूर्वक वसूल करना। प्रस्तावित संस्थानिक व्यवस्थाएं तथा प्रबंधन परम्पराएं सुझाए गए सेवा देने के सुधार कार्यक्रम को अपने परिज्ञान में रखें।
- **भागीदारिता कार्यान्वयन:** कुछ हद तक सामुदायिक भागीदारी सहित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) तथा एसपीवी द्वारा किया जाने वाला परियोजना कार्यान्यवन। जहां परियोजना में नए ग्राहकों को शामिल किया जाता है, वहां सामाजिक हस्तक्षेप तथा संसूचना नीति को अपनाया जाए।
- **वित्तीय आयोजना:** वास्तविक व्यापार योजना का विकास करना जिसमें वार्षिक लागत तथा राजस्व का प्राक्कलन, प्रतिस्थापन लागत सहित चरणबद्ध लागत क्षमता विस्तार तथा/या शोधन/निपटान सुविधाओं का कोटि उन्नयन, तथा निष्पादन में तय किए गए सुधार शामिल हैं। अच्छी वाणिज्यक परम्पराओं को शामिल करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान देना, प्रस्तावित टेरिफ तथा उनमें संशोधन तथा अपनाने योग्य समुचित समझे गए अन्य परिवर्तन सहित एक योजना।
- **अपनाने योग्य प्रबंधन हेतु कार्यविधि:** आभार (डेब्ट) सेवा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राजस्व को आत्मसात करके परिवर्तनशील (रिवोल्विंग) निधि पैदा करने तथा उपस्कर तथा भावी विस्तार में निधि पूंजी निवेश के लिए अनुरक्षण के रूप में तथा प्रतिस्थापन आरक्ष्य हेतु प्रावधान करना।

सेक्टर विशिष्ट दिशा निर्देश: ठोस अवशिष्ट (कचरा) प्रबंधन परियोजनाएं

ठोस अवशिष्ट (कचरा) सेक्टर में परियोजना प्रस्तावों के समर्थन के लिए उन पर तभी विचार किया जायेगा, यदि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/प्रायोजक तथा राज्य सरकार निम्नलिखित के अनुरूप हो:–

- **स्रोत में प्रथक्करण तथा पुन: उपयोग/पुन: चक्रण में मुख्य विचारार्थ बातें:** विभिन्न कचरा पुन: उपयोगकर्ताओं/पुन: संसाधितकर्ताओं की मौजूदा औपचारिक तथा अनौपचारिक गतिविधियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्रोत प्रथक्करण तथा पुन: चक्रण में सुधार करने के लिए सिस्टम/उपविधियों/नीतियों तथा उपायों की जानकारी/मुख्य विचारार्थ बातें।
- **संग्रहण (एकत्रीकरण) तथा परिवहन पद्धति:** सक्षम सेकेण्डरी एकत्रीकरण तथा स्थानान्तरण पद्धति को स्थापित करना।
- **निपटान सुविधा का चयन:** स्वीकार्य तथा विश्वसनीय उपचार तथा/या निपटान पद्धति [जिसमें कचरा का पुन: उपयोग तथा/ या बाजार मूल्य पर उत्पाद(गैस, ऊर्जा, खाद, आरडी एफ आदि) को पुन: संसाधित (रिप्रोसेसिंग) किया जाना शामिल हो।] का परिचय।
- **मूलभूत निपटान पर विचार करना:** तकनीकी रूप से अनूकूल तथा सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने योग्य दीर्घ अवधि भूमि युक्त सुविधा की पहचान तथा स्थापना, एम एस डब्लयू निपटान तथा उपचार हेतू भूमि की पहचान एमएसडब्ल्यू नियमावली 2000 (किसी भी संशोधन सहित) के अनुसार होनी अपेक्षित है।
- **स्वीकृतिदाता विधिक ढांचा:** शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), उपभोगकर्ता प्रभारों तथा उनके विनियोजन की लेवी हेतु एक स्वीकृतिदाता विधिक ढांचा तैयार करेगा।
- **संस्थानिक व्यवस्था तथा दक्षता में वृद्धि:** एमएसडब्ल्यू सिस्टम के प्रचालन के लिए कोड ऑफ प्रेक्टिस को अपनाना तथा कार्यान्वयन करना: एम एस डब्ल्यू के लिए अगल लेखा पद्धति बनाना जिसमें संबंधित लागतों को सही-सही पहचाना और जांचा जा सके, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अंतर्गत एमएसडब्ल्यू के प्रबंधन के लिए संस्थानिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए एमएसडब्ल्यू के सभी पहलुओं हेतु पूरी तरह जिम्मेदार एक तकनीकी रूप से सक्षम यूनिट की स्थापना करना।
- **राजस्व तथा लागत वसूली:** ओ एण्ड एम लागतों तथा परियोजना अवधि (निर्माण तथा ओ एण्ड एम) पर उनमें हुए संशोधनों की वसूली करने हेतु शुल्कों (उपयोगकर्ता ''शुल्क'' या ''कर'' या बेहतरी लेवी) तथा/या संरचना शुल्क की जानकारी देना। परियोजनाओं को लेने योग्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता (आय के स्रोत) के विश्वसनीय स्रोत की पहचान करना तथा नियत करना।
- **निष्पादन मापन एवं मानीटरिंग:** एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार तथा निपटान हेतु मात्रात्मक निष्पादन संकेतकों सहित निष्पादन मापन तथा मानीटरिंग पद्धति।
- **वित्तीय आयोजना:** वास्तविक व्यापार योजना का विकास करना जिसमें वार्षिक लागत तथा राजस्व का प्राक्कलन, प्रतिस्थापन लागत सहित चरणबद्ध लागत क्षमता विस्तार तथा/या शोधन/निपटान सुविधाओं का कोटि उन्नयन तथा निष्पादन में तय किए गए सुधार शामिल हैं। निजी क्षेत्र को शामिल करके अच्छी वाणिज्यिक परंपराओं को शामिल करना, समुचित उपभोगकर्ता प्रभारों तथा कर को शामिल करके एक अपनाने योग्य योजना को अपनाना, तथा प्रतिस्थापन खर्च की ओर राजस्व के एक भाग को नियत करने के लिए प्रावधान, उपस्कर प्रतिस्थापन तथा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपेक्षित निधि पूंजी निवेशों के लिए अनुरक्षण/प्रतिस्थापन आरक्ष्य (रिजर्व) के रूप में तथा आभार (डेब्ट) सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु परिवर्तनशील (रिवाल्विंग) निधि पैदा करना, समान संकेतकों की तुलना में प्रस्तावित समाधानों की लागत प्रभावशालिता।